न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 21/2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री मनोज कुमार गौतम डीलर, ग्राम पंचायत कोयला, पंचायत समिति बारां, तहसील व जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 12.04.2023

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कोयला, पंचायत समिति बारां, पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9.45 क्विंटल गेंहू गबन किये जाने पर राशि 6609 /– रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब इस आशय का पेश हुआ कि उक्त प्रकरण में पूर्व में कार्यवाही संख्या 32/2008 भी संस्थित हुई थी, तथा कई बार नोटिस भी इस राशि की वसूली हेतु दिये गये है, जबकि प्रार्थी/उदत्तरदाता द्वारा दिनांक 24.09.1999 को 10,000 /– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) रसीद संख्या– 385 से, दिनांक 31.05.2000 को 10,000/– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) रसीद संख्या 481 से, दिनांक 17.06.2010 को 6609 /– (अक्षरे– छः हजार छः हजार छः सौ नो रूपये) रसीद संख्या 1253 से उक्त प्रकरण में जमा करा दिये है। इस प्रकार उत्तरदाता [illegible] 26,609 /– रूपये (छबीस हजार छः सौ नौ रूपये) विभाग में जमा करा[illegible] रसीद प्राप्त की हुई है। विभाग द्वारा रसीदों का समायोजन कर[illegible] कोई राशि बकाया नही है। अतः राशि बकाया नही होने से [illegible] जावे।

4– जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण [illegible] हेतु नियत किया गया।

5– हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

में 9.45 क्विं. गेंहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 6609/– रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/उदत्तरदाता द्वारा दिनांक 24.09.1999 को 10,000 /– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) रसीद संख्या– 385 से, दिनांक 31.05.2000 को 10,000/– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) रसीद संख्या 481 से,, दिनांक 17.06.2010 को 6609 /– (अक्षरे– छः हजार छः हजार छः सौ नो रूपये) रसीद संख्या 1253 से उक्त प्रकरण में जमा करा दिये है। इस प्रकार उत्तरदाता द्वारा कुल 26,609 /– रूपये (छबीस हजार छः सौ नौ रूपये) विभाग में जमा करा कर रसीद प्राप्त की हुई है। अतः राशि बकाया नही होने से प्रकरण खारीज फरमाया जावें।

7– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 26609/– रूपये निकाली गई है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 24.09.1999 को 10,000 /– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) प्रस्तुत रसीद संख्या– 385 से, दिनांक 31.05.2000 को 10,000/– रूपये (अक्षरे– दस हजार रूपये) रसीद संख्या 481 से, दिनांक 17.06.2010 को 6609 /– (अक्षरे– छः हजार छः हजार छः सौ नो रूपये) रसीद संख्या 1253 से विभाग में जमा करवा दिये हैं। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसीदात से सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होना स्पष्ट है। तथा वर्तमान में अप्रार्थी की ओर विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वास्तव में अप्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य राशि कितनी है।

9– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय रेकार्ड की गहन जांच कर यदि अप्रार्थी की ओर कोई राशि बकाया हो तो प्रकरण नये सिरे से तैयार कर पुनः पेश करें। आदेश की प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां को पालनार्थ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

बारां (राज०)